COURT FEE INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 Rs

3/7.08

354 / 02-8-13

नकल आदेश दिनांक 23-8-13 वाद नं० 15 धारा
143 ज०वि० अधि० ग्राम रामगढ़ परगना चाँदा तह०
लम्भुआ जिला सुल्तानपुर न्यायालय उपजि-
लाधिकारी लम्भुआ सुल्तानपुर मथुराप्रसाद
सिंह महिला महाविद्यालय बनाम सरकार
तारीख फैसला 23-8-13

2

नोट आदेश की प्रति साथ में संलग्न है।

Mathura Prasad Singh Institute of Medical Sciences Jan Kalyan Trust
• Ramgarh-Sultanpur •
Manager / Trusty

P.T.O.

न्यायालय उप जिलाधिकारी लम्भुआ सुलतानपुर।

वाद संख्याः 15

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम रामगढ़ परगना चाँदा
तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर।

प्रबन्धक हनुमान प्रसाद सिंह पुत्र
श्री कमला प्रसाद सिंह, कमला प्रसाद सिंह
महिला महाविद्यालय एवं कमला प्रसाद सिंह
महाविद्यालय मथुरा नगर, रामगढ़,
सुलतानपुर

बनाम

ग्राम पंचायत रामगढ़

निर्णय

प्रस्तुत वाद कमला प्रसाद सिंह महिला महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ द्वारा संचालित कमला प्रसाद सिंह शिक्षा समिति ग्राम मथुरा नगर, रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक हनुमान प्रसाद सिंह पुत्र श्री कमला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर के द्वारा प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि गाटा संख्या 1/0.468 हे0, गाटा संख्या 5/0.089 हे0 में से 1/6 भाग जिसके अनुसार 0.015 हे0 का खातेदार संक्रमणीय भूमिधर है व काबिज दाखिल है। कमला प्रसाद सिंह महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ द्वारा संचालित कमला प्रसाद सिंह शिक्षा समिति ग्राम मथुरा नगर, रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर गाटा संख्या 4/0.876हे0 में से 0.190 हे0 का खातेदार संक्रमणीय भूमिधर है व काबिज दाखिल है। उक्त रकबे में वादी कमला प्रसाद सिंह महिला महाविद्यालय एवं कमला प्रसाद सिंह महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ द्वारा संचालित कमला प्रसाद सिंह शिक्षा समिति ग्राम मथुरा नगर, रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक श्री हनुमान प्रसाद सिंह पुत्र श्री कमला प्रसाद सिंह द्वारा बनाकर उपयोग किया जा रहा है अतः प्रश्नगत रकबा को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली तहसील भेजी गई। तहसीलदार की आख्या दिनांक 14.08.2013 को प्राप्त हुई। तहसील आख्या के अनुसार गाटा संख्या 1/0.468 हे0, 5/0.089 हे0 में से 1/6 भाग जिसके अनुसार 0.015 हे0 का खातेदार संक्रमणीय भूमिधर है व काबिज दाखिल है। कमला प्रसाद सिंह महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ द्वारा संचालित कमला प्रसाद सिंह शिक्षा समिति ग्राम मथुरा नगर, रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर गाटा संख्या 4/0.876हे0 में से 0.190 हे0 पर वादी कमला प्रसाद सिंह महिला महाविद्यालय एवं कमला प्रसाद सिंह महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ द्वारा संचालित कमला प्रसाद सिंह शिक्षा समिति ग्राम मथुरा नगर, रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक हनुमान प्रसाद सिंह पुत्र श्री कमला प्रसाद सिंह द्वारा बनाकर प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्नगत भूखंड गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रहा है। अतः में उपरोक्त गाटों को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसील आख्या का सम्यक् परीक्षण किया। प्रश्नगत भूखंड पर विद्यालय का निर्माण चल रहा है तथा प्रश्नगत भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रहा है। जिसे तहसीलदार लम्भुआ द्वारा अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः तहसील आख्या के आधार पर प्रश्नगत भूखंड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम रामगढ़ की खतौनी 1417ता 1422 फ0 की 1/0.468 हे0, 5/0.089 हे0 में से 1/6 भाग जिसके अनुसार 0.015 हे0 का खातेदार संक्रमणीय भूमिधर है व काबिज दाखिल है। कमला प्रसाद सिंह महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ द्वारा संचालित कमला प्रसाद सिंह शिक्षा समिति ग्राम मथुरा नगर, रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर गाटा संख्या 4/0.876हे0 में से 0.190 हे0 पर वादी कमला प्रसाद सिंह महिला महाविद्यालय एवं कमला प्रसाद सिंह महाविद्यालय मथुरा नगर रामगढ़ द्वारा संचालित कमला प्रसाद सिंह शिक्षा समिति ग्राम मथुरा नगर, रामगढ़ परगना चाँदा तहसील लम्भुआ सुलतानपुर विद्यालय का निर्माण होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। इस आदेश से स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदेश एक प्रति उप निबंधक लम्भुआ को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत निःशुल्क अंकित करने हेतु भेजी जाय। वाद औपचारिकता पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांकः

(राम विलास) 23/3/13
उपजिलाधिकारी,
लम्भुआ ।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उच्चारित।

दिनांकः

11068
प्रार्थना पत्र क्रमांक 26.11.12
सत्य प्रतिलिपि
13
27/12/12
दिनांक 27/12/12

उप जिलाधिकारी 23/3/13
लम्भुआ ।